[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 26/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 जून, 2018

सा.का.नि. ..... (अ).–केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 37 के उपनियम (1) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मद्दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा ।";

(ii) नियम 83 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''अठारह मास'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) 1 जुलाई, 2017 से, नियम 89 में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा:--

अधिकतम प्रतिदाय की रकम = {(व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त) x शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त} – ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर।

स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "शुद्ध आईटीसी" पद से सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख)

या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है ; और

(ख) "समायोजित कुल आवर्त" पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में उसका है ।";

(iv) 1 जुलाई, 2017 से, नियम 95 के उपनियम (3) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, माल का आवक प्रदाय या सेवाएं या दोनों किसी कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त किए गए थे;'';

(v) नियम 97 के उपनियम (1) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित उपकर की रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम निधि में जमा की जाएगी ।";

(vi) नियम 133 के उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

''(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, प्राप्तिकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, कीमत में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दिया था, वहां प्राधिकरण,--

(क) कीमतों में कमी करने ;

(ख) प्राप्तिकर्ता को, उच्चतर रकम के संग्रहण की तारीख से, यथास्थिति, ऐसी रकम की वापसी या ब्याज सहित वापस न की गई रकम की वसूली की तारीख तक, अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दी गई रकम के समतुल्य रकम को वापस करने ;

(ग) जहां पात्र व्यक्ति ने रकम की वापसी का दावा नहीं किया है या उसकी पहचान नहीं हुई है, वहां उपरोक्त खंड के अधीन अवधारित रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम को, धारा 57 के अधीन गठित निधि में और रकम का शेष पचास प्रतिशत संबद्ध राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 57 के अधीन गठित निधि में जमा करने ;

(घ) अधिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अधिरोपण ; और

(ङ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण,

का आदेश कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "संबद्ध राज्य" पद से ऐसा राज्य अभिप्रेत है, जिसके संबंध में प्राधिकरण ने आदेश पारित किया है ।";

(vii) नियम 138 के उपनियम (14) के खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ण) जहां प्रदाय से भिन्न किन्हीं कारणों से, द्रवित पैट्रोलियम गैस की पैंकिग के लिए खाली सिलेंडरों को हटाया जाता है ।";

(viii) **प्ररूप जीएसटीआर-4** में, अनुदेशों में, क्रम सं0 10 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित अनुदेश रखा जाएगा, अर्थात् :--

"10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 और अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक की कर अवधियों के लिए सारणी 4 का क्रम 4क नहीं दिया जाएगा ।"।

(ix) 1 जुलाई, 2017 से प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 के भाग आ में,--

(क) क्रम संख्यां 4 के सामने, प्रविष्टि (10) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

''(11) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी

(12) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन कर विवरणी तैयारकर्ता'';

(ख) ''**सहमति**'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

''**घोषणा**

मैं घोषणा करता हूं कि :

(i) मैं भारत का नागरिक हूं;
(ii) मैं स्वस्थ्य चित्त का व्यक्ति हूं
(iii) मुझे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णित नहीं किया गया है; और
(iv) मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।'';

(x) प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-01** के उपाबंध-1 में,

(क) विवरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:--

''**विवरण 1क**

[नियम 89(2)(ज) देखें]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम	प्राप्त प्रदायों के आवक बीजकों के ब्यौरे	आवक प्रदायों पर संदत्त कर	जारी जावक प्रदायों के	जावक प्रदायों पर संदत्त कर

सं.					बीजकों के ब्यौरे								
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	**सं.**	**तारीख**	**कराधेय मूल्य**	**एकीकृत कर**	**केंद्रीय कर**	**राज्य कर/ संघ राज्य क्षेत्र कर**	**सं.**	**तारीख**	**कराधेय मूल्य**	**एकीकृत कर**	**केंद्रीय कर**	**राज्य कर/ संघ राज्य क्षेत्र कर**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													";"

(ख) विवरण 5ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"विवरण 5ख

[नियम 89(2)(छ) देखें]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के मद्दे (रकम रुपए में)

क्रम सं.	प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								;"

(xi) प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-01क**, के उपाबंध-1 में,--

(क) "विवरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:--

''विवरण 1क

[नियम 89(2)(ज) देखें]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम	**प्राप्त प्रदायों के आवक बीजकों के ब्यौरे**	**आवक प्रदायों पर संदत्त कर**	**जारी जावक प्रदायों के**	**जावक प्रदायों पर संदत्त कर**

सं.					बीजकों के ब्यौरे								
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													";"

(ख) विवरण 5ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:--

"विवरण 5ख

[नियम 89(2)(छ) देखें]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के मद्दे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								;"

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 378(अ), तारीख 18 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 21/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 18 अप्रैल, 2018 द्वारा किया गया था ।